संख्या-725/2026/1979/22-2-2025-17(592)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी युसुफ पुत्र बरसाती, निवासी जनपद-कुशीनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-35825/प्रो(6)/256 (शिक्षक दिवस-25), दिनांक 12.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी युसुफ पुत्र बरसाती, ग्राम- जटहा रोड पडरौना, थाना-कोतवाली पडरौना, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 03-05-1999 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दहेज में मोटर साइकिल की मांग पूरी न होने के कारण अपनी पत्नी व अपनी 06 माह की बच्ची की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-169/1999 में भा0द0वि0 धारा-498ए, 304बी, 302 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान पडरौना के आदेश दिनांक 04.06.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.12.2009 द्वारा निर्णीत करते हुये मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारवास में परिवर्तित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 16.08.2025 तक अपरिहार 16 वर्ष, 06 माह, 27 दिन एवं सपरिहार 20 वर्ष, 09 माह की सजा भोगी गयी है।

3- बन्दी द्वारा अपनी पत्नी व अपनी 06 माह की बच्ची की निर्ममता पूर्वक जलाकर हत्या करने जैसा शर्मशार करने वाला अपराध कारित किया गया है। बन्दी द्वारा अपराध विरल में विरलतम परिधि में आता है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आता है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे मे विपरीत सन्देश जायेगा। अतएव बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता तथा समाज को प्रभावित करने वाले अपराध के दृष्टिगत समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत निर्धारित स्थायी नीति विषयक शासनादेश संख्या-564 /2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-12 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी युसुफ पुत्र बरसाती की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी युसूफ(बन्दी सं0-514/2023) पुत्र श्री बरसाती, निवासी जनपद-कुशीनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या- 725/2026/1979(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।